न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 398/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. तेजाराम पुत्र बीजाराम 2. किसनाराम पुत्र देवाराम 3. भागीरथ पुत्र भलाराम 4. मेमराज पुत्र बागाराम जाति विश्नोई निवासी हरिओम नगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलौदी		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लोहावट, जिला फलौदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट, जिला जोधपुर (हाल–फलौदी) आदेश कमांकः राजस्व/2023/612 दिनांक 18.07.23

उपस्थिति –
1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.10.2025

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश कमांकः राजस्व/2023/612 दिनांक 18.07.23 के द्वारा तहसीलदार लोहावट के पत्र कमांक 291 दिनांक 14.07.2023 से प्रस्तावित राजस्व ग्राम हरिओम नगर के खसरा नम्बर 129, 128, 324/127, 325/127, 126/4 की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के खातेदारी खसरा नं0 129, 128, 324/127, 325/127, 126/4 में से उल्लेखित हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित कर, राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस एवं जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

और न ही सहमति ली गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। बिना सहमति के अपीलार्थी के खातेदारी भूमि को गै0मु0 रास्ते में दर्ज नही किया जा सकता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश बिना विधिक प्रकिया अपनाये सरसरी रूप से एकतरफा पारित किया गया है, जिससे अपीलांट के खसरे दो भागों में विभाजित हो गये है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही तहसीलदार लोहावट के आवेदन/प्रस्ताव पर की गई हैं। जिसमें अपीलांट/संबंधित खातेदारों को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। इसके अलावा फर्द मौका दिनांक 28.6.23 में अंकित नजरी नक्शें के अनुसार अपीलांट के खसरान दो भागों में विभाजित हो गये है तथा मौका फर्द रूबरू मौतबिरान/खातेदारान के नही बनायी गई। प्रस्ताव के संलग्न ग्रामवासियों का आवेदन भी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राजस्व/2023/612 दिनांक 18.07.23 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उनकी उपस्थिति में मौके पर प्रचलित/कदिमी रास्ते का सत्यापन करवाकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

31/10/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर